

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25(3) के अंतर्गत तिमाही रिपोर्ट 30 सितम्बर, 2011 को

समाप्त तिमाही (01.07.2011 से 30.09.2011 तक)

(क)	प्रत्येक प्राधिकारी द्वारा प्राप्त अनुरोधों की संख्या	359
(ख)	ऐसे निर्णयों की संख्या जिनमें आवेदक अनुरोधों के अनुसरण में दस्तावेजों को प्राप्त करने के हकदार नहीं थे, अधिनियम के वे उपबंध जिनके अंतर्गत ये निर्णय किए गए और कितनी बार ऐसे उपबंधों का अवलंब लिया गया	1(धारा 8(1)(छ) के अधीन)
(ग)	केन्द्रीय सूचना आयोग को समीक्षा के लिए संदर्भित अपीलों की संख्या, अपीलों का स्वरूप और अपीलों के परिणाम	6-[दूसरी अपील - 1(एक) शिकायतें - 5(पाँच) (सभी का प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निपटान किया जा चुका है एवं निर्णय मुख्य सूचना आयुक्त को अग्रेषित कर दी गयी है)]
(घ)	इस अधिनियम के प्रशासन के संदर्भ में किसी अधिकारी के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई का विवरण	शून्य
(ङ.)	इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा संग्रहित प्रभारों की धनराशि	8135/- रूपए केवल
(च)	इसकी मूल भावना के अनुरूप कार्रवाई करने और क्रियान्वित करने के लिए प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा किए गए प्रयासों को दर्शाने वाले विवरण	आवेदनों के निपटान की निरंतर रूप से जाँच की जा रही है।
(छ)	सुधार के लिए उपयुक्त सुझाव। सुझाव में वे भी सम्मिलित होंगे जो अधिनियम में संशोधन के लिए साधारण विधि के अन्य विधायन या सूचना के प्रति अभिगम्यता के अधिकार को कार्य-रूप देने से सुसंगत कोई अन्य मामले के विकास, बेहतरी, आधुनिकीकरण, सुधार के लिए अपेक्षित हों।	शून्य

ह./

(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)

सचिव

एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी